

आदेश न इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 121/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आवास फाईनेशियर्स लिमिटेड (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजिकृत कार्यालय 201-202 पलोर साउथे एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री देवेन्द्र कुमार सोनी पुत्र महेन्द्र कुमार सोनी
पता :- 3-ए, बाहुबली नगर, निवारू रोड, जयपुर
एवं प्लॉट नम्बर बी-35, श्री गोविन्द नगर-प्रथम विस्तार बी, निवारू रोड, नांगल जैसा बोहरा, जिला जयपुर ।
2. श्री योगेश कुमार पुत्र श्री महेन्द्र कुमार सोनी
3. श्रीमती प्रेमलता सोनी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार सोनी
4. श्री महेन्द्र सोनी पुत्र श्री भवानी शंकर
पता :- 3-ए, बाहुबली नगर, निवारू रोड, जयपुर
5. श्री नारायण पुत्र श्री सीताराम
पता :- 2118, बद्रीनाथ गली, चांदपोल बाजार, जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री चन्द्र शेखर वेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 14.07.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.11.2013 को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती प्रेमलता सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर बी-35, श्री गोविन्द नगर प्रथम विस्तार-बी, निवारू रोड, नांगल जैसा बोहरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 05,10,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.12.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बचक सम्पत्ति का सौचिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस हुमनात उपलब्ध का अनुरोध किया है।
- 2 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वही रजिस्ट्रार किया गया। प्रार्थी को सुयोग्य अविद्यता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का तदीमांति अवलोकन किया गया।
- 3 प्रार्थी विधाय संस्था की भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 के क्रम संख्या 5 पर सरकारी अधिनियम 2002 के तहत विधाय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
- 4 पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 5,10,220/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूमि जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बचक के रूप में प्रार्थी विधाय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए धोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय खात कुल राशि 3,31,189.41/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.12.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा इन्क नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा विधाय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधाय संस्था बचक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत विधाय संस्था के पक्ष में बचक रखी गई सम्पत्ति का सौचिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी विधाय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
- 5 अब The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी विधाय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती प्रेमलता सोनी के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर बी-35, श्री सर्वानन्द नगर प्रथम विस्तार-बी, निवारक रोड, नागल जैसा बोहरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर का सौचिक रूप से कब्जा प्रार्थी विधाय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
- 6 आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपमहानिरीक्षक जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्राणीक को भेज कर लिखा जाये की इन्क सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी विधाय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर विधाय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु सावधान करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर वापिस भेजा है।

आदेश आज दिनांक 14/07/2022 को सत्र इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरीहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

